तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.07.2023	पत्रावली प्रथम लिंक अधिकारी जोधपुर के समक्ष मुख्यालय जोधपुर पेश हुई। अपीलांट्स के अधिवक्ता उपस्थित। केवियटर अधिवक्ता का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ। केवियटर अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता के निवेदन पर उनकी एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट्स ने वादग्रस्त आराजीयात श्रवणकुमार पुत्र डूंगरमलजी महेश्वरी निवासी सांचौर से पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 09.11.2006 के जरिये खरीद की है, जिसकी पालना में म्यूटेशन स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तित होकर कृषि भूमि से आवासीय, वाणिज्यिक सम्परिवर्तित हो चुकी है तथा अपीलांट लाबूराम के नाम से पट्टे जारी किये हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा अद्यतन राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया हैं। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में है। भूमि की किस्म परिवर्तन होने से कानूनन राजस्व न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथन है कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को दावे एवं टी.आई में पक्षकार संयोजित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे उन्हें अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार होने से मामले में हितबद्ध, आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 जून 2020 को निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट्स के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स के कथनानुसार उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के पश्चात उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है तथा न ही उनके द्वारा किसी प्रकार की चाराजोही किया जाना पाया जाता है। अपीलाट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन मुताबिक अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश के जिसके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना न्यायालय हाजा की राय में उचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलांट्स को हिदायत दी जाती है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे तथा चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त करे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अद्यतन राजस्व रेकर्ड को मद्देनजर रखते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। 20.07.2023 राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	